छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | नवम् सत्र | अंक-1

नवा रायपुर अटल नगर, गुरूवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

(वैशाख 10, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत "**अरपा पइरी के धार**" का गायन किया गया ।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री जगेश्वर राम भगत, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्रीमती मोहसिना किदवई, राज्यसभा की पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.17 बजे स्थगित की जाकर 11.23 बजे समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

3. सदन को सूचना

(1) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज दर्शक दीर्घाओं में छत्तीसगढ़ का महिला नेतृत्व मौजूद है। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

(2) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज दिन भर की कार्यवाही का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जा रहा है।

4. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री धरम लाल कौशिक

(2) श्री विक्रम उसेण्डी

(3) श्री धर्मजीत सिंह

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री प्रबोध मिंज

5. शासकीय संकल्प

"इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।"

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से संकल्प पर चर्चा के लिए 4.00 घंटे का समय निर्धारित किया ।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत ने उनके द्वारा दिए गए संकल्प का आसंदी से उल्लेख नहीं किए जाने का जिक्र करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सामान्यत: जब विशेष सत्र होता है तो उसका विषय पहले से निश्चित होता है कि किस विषय पर यह सत्र आहूत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री

द्वारा शासकीय संकल्प की सूचना दी गई है। परम्परानुसार सामान्य तौर पर कोई दूसरा अशासकीय संकल्प नहीं आ सकता । चूंकि यह सत्र शासकीय कार्य के संपादन के लिए ही आहूत किया गया है एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभा में शासकीय संकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है। अत: नियम 132 (7) के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प को मैंने अग्राह्य कर दिया है।

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में सार्वजनिक रूप से सभा का विशेष सत्र बुलाया जा कर निंदा प्रस्ताव लाए जाने की बात कही थी, परन्तु जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, वह निंदा प्रस्ताव न होकर शासकीय संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में श्री अजय चन्द्राकर सदस्य ने विचार व्यक्त किया कि सभा के बाहर किसने क्या कहा, उसका यहां उल्लेख हो ही नहीं सकता। सभा में जो विषय जिस रूप में प्रस्तुत हुआ है, सभा उसी रूप में चर्चा करेगी।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मैं माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर की बात से पूर्णत: सहमत हूं। यह प्रक्रिया एवं परम्परा है कि सभा के बाहर विषय को लेकर किसी संकल्प की चर्चा की शुरूआत नहीं हो सकती है । यह प्रावधान एवं परम्परा के तहत् नहीं है।

8. शासकीय संकल्प (क्रमश:)

सुश्री लता उसेण्डी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

9. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, राज्य सभा सदस्य अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत् करता हूं।

10. शासकीय संकल्प (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती अनिला भेंड़िया,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

11. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

12. शासकीय संकल्प (क्रमश:)

श्रीमती भावना बोहरा

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

13. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की, कि आज महिलाओं की गरिमा, सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए एक शासकीय संकल्प लाया गया है, जिस हेतु एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। चूंकि आज की संपूर्ण कार्यवाही महिलाओं के सम्मान को समर्पित है, इसलिए केवल आज के लिए मैं नियम 9 (1) को शिथिल करते हुए **सुश्री लता उसेण्डी** एवं **श्रीमती अनिला भेंड़िया** को सभापति तालिका में नाम निर्देशित करता हूं। इसे भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए।

14. शासकीय संकल्प (क्रमश:)

श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री किरण देव

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती गोमती साय

(सभापति महोदया (श्रीमती अनिला भेंड़िया) पीठासीन हुईं।)

श्रीमती चातुरी नंद, श्री अजय चन्द्राकर

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती शेषराज हरवंश,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती रायमुनी भगत, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री धरमलाल कौशिक

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े (महिला एवं बाल विकास मंत्री), नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(संकल्प स्वीकृत हुआ।)

15. बहिष्कार

शासकीय संकल्प के विरोध में नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया।

16.सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

माननीय सदस्यगण, नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस पर एक दिवसीय विशेष सत्र पर जो विधानसभा का षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र था, नौ घंटे से ऊपर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित 25 सदस्यों ने इस पर भाग लिया। मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है। यह सुखद संयोग है कि मातृशक्ति पर केंद्रित यह विशेष सत्र हमारा नवम सत्र है। प्रतीकात्मक रूप से माता की आराधना, मातृशक्ति एवं मातृ वंदन को यह विशेष सत्र समर्पित

रहा। शासन द्वारा लाए गए संकल्प पर पक्ष-विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने विचार किया, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का संसदीय संस्कार राज्य की अनमोल धरोहर है। हमारे लिए यह उपलब्धि भरा दिन है, यह विषय हमारे लिए उपलब्धि भरा है। राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बजट सत्र, पावस सत्र, शीतकालीन सत्र के अलावा विकास के अनेक अवसरों पर विशेष सत्र आहूत हुए। 22 अगस्त, 2016 को संविधान संशोधन के अनुसमर्थन में, 28 अप्रैल, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 3 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर, 16 जनवरी, 2020 को संविधान के 126वें संशोधन 2019 पर, 18 नवंबर, 2025 को विधानसभा की 25 वर्ष की संसदीय यात्रा पर विशेष चर्चा के साथ सत्र संपन्न हुआ और आज महिलाओं के समग्र कल्याण पर केंद्रित संकल्प पर चर्चा हुई। यह चर्चा इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए वचनबद्ध है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने संसदीय आचरण और व्यवहार से देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस उपलब्धि का श्रेय मैं आपको देता हूं, माननीय सदन के नेता श्री विष्णु देव साय जी, इसके साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, नेता प्रतिपक्ष बाहर चले गए हैं, मगर उन्हें भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं तथा पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यगणों का जो सकारात्मक सहयोग मिला। आज यह एक दिवसीय सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सदन के सुव्यवस्थित संचालन में आप सबके सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेषकर इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

विधायी सदन में लाए गए किसी भी संकल्प अथवा किसी भी विषय पर अध्यक्ष चर्चा में भाग नहीं लेते। परंतु सत्र के समापन के अवसर पर उपसंहार के अवसर के रूप में वह अपनी भावनाएं रखते हैं। इसी परंपरा के अनुरूप आज के विशेष सत्र के संदर्भ में मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। मातृ शक्ति के महत्व के विषय पर मेरा यह मानना है कि अनादि काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में मातृ शक्ति को महत्व और भूमिका, दोनों में अत्यंत प्रभावशाली रही। इस विषय पर संशय और संदेह की संभावना शून्य है। सामाजिक, राजनीतिक एवं विविध क्षेत्रों में हमारी माता, बहनें, बेटियों की भूमिका हमें गौरव का अवसर प्रदान करती है। आप चाहे पक्ष के और विपक्ष के सदस्य हों, मैंने अनुभव किया आप सभी के हृदय में मातृ शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव विद्यमान है और यह होना भी चाहिए। घर-परिवार के से लेकर राज्य और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी

अनिवार्य आवश्यक है और इसे बनाए रखना किसी एक राजनीतिक दल की जवाबदारी नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है। हम समाज में मातृ शक्ति की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के भाव को अपने हृदय में शाश्वत और जागृत रखते हैं। मैं मानता हूँ कि यह विशेष सत्र राजनीतिक दृष्टि से पक्ष-विपक्ष के लिए अलग-अलग मायने रखता हो, परंतु भावना की दृष्टि से आप सभी माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण महिलाओं के सम्मान पर केंद्रित रहा। यह इस सदन की उपलब्धि है।

हमारे लिए यह भी उपलब्धि है कि यह विशेष सत्र राज्य के त्रि-स्तरीय पंचायती राज के महिला सदस्य पंच, सरपंच, जनपद, जिला के सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर एवं पार्षदगणों की दर्शक दीर्घा में भरपूर उपस्थिति रहीं। नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के संबंध में आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस पावस सत्र में चर्चा हुई। हमारे देश की संस्कृति ने नारी को सम्मान दिया है। हमें इतिहास गवाह है कि महिलाएँ हमेशा समाज, परिवार, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की आधारशिला रही हैं। आज विधान सभा की कार्यवाही में विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाएँ, जिनमें स्थानीय निकाय की 61 अध्यक्ष, पार्षद 100, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता 60, लखपति दीदी 57, मितानिन दीदी 12, मिनी माता एवं अन्य पुरस्कार प्राप्त 61, जनपद अध्यक्ष 310, महिला मोर्चा पदाधिकारी 58, महिला बाल विकास के अधिकारी/कर्मचारी एवं क्षेत्र की महिलाओं ने मिलकर करीब 1100 लोगों ने नारी शक्ति के सम्मान और महिला के समग्र विकास की चर्चा को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। यह अपने आप में कीर्तिमान है कि विधान सभा में इतनी महिलाओं की एक दिन में उपस्थिति रही। इसके लिए छत्तीसगढ़ के इस विधान सभा में और छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ जनता के आभारी हैं। इस अवसर पर महिला जनप्रतिनिधिगण की पर्याप्त उपस्थिति और यह सफलता एक जीवंत प्रमाण है।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान दिया, प्रदेश की जनता को संपादित कार्यवाही से अवगत कराया। विशेषकर दूरदर्शन को आज की संपूर्ण कार्यवाही के प्रसारण के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित सचिवालय के

समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण कुशलता और निष्ठा से किया है।

परम्परा के अनुसार इस सत्र के समापन पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। तदनुसार, आगामी सत्र जिसकी तिथि माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

17. जन्मदिन की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य के दिनांक 1 मई को जन्म दिवस के अवसर पर अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

18. राष्ट्रगीत/राष्ट्रगान

(राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का गायन किया गया)

रात्रि 9.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा